

बजट का सार

BUDGET AT A GLANCE

2016-2017

बजट के सार में बजट अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर परिलक्षित किया जाता है ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके। यह दस्तावेज प्राप्तियों एवं व्यय और राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। इस दस्तावेज में प्राप्तियों के स्रोतों और उनके अनुप्रयोगों की उपयुक्त चार्टों और ग्राफों के माध्यम से विस्तृत व्याख्या की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस दस्तावेज में केंद्रीय और राज्य आयोजना परिव्यय और प्रमुख कार्यक्रमों और स्कीमों पर आवंटन सन्निहित है।

2. **राजकोषीय घाटा** राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय, के बीच का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। **राजस्व घाटे** का अर्थ राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होना है। **प्रभावी राजस्व घाटा** राजस्व घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर है। **प्राथमिक घाटे** को ब्याज अदायगियां घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

3. बजट 2016-17 एक ओर कृषि, सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना और रोजगार सृजन में निवेश महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूसरी ओर साथ ही साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर डटे रहने को दर्शाता है। इसकी पुष्टि आयोजना परिव्यय में 15.3% का बड़ा उछाल और संशोधित अनुमान (2015-16) की तुलना में 2016-17 में आयोजना-भिन्न परिव्यय में 9% वृद्धि दर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5% के अनुरूप प्राप्त करने के साथ है। इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा में वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन की देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता की भी व्यवस्था की गई है।

4. सं.अ. (2015-16) में ₹4,77,197 करोड़ का आयोजना परिव्यय ब.अ. (2015-16) से ₹11,920 करोड़ अधिक है। आयोजना-भिन्न में मामूली कटौती से सं.अ. (2015-16) में ₹13,08,194 करोड़ ब.अ. (2015-16) से ₹7,914 करोड़ अधिक है। तदनुसार 3.9% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सं.अ. अवस्था में व्यय परिव्यय में कटौती किए बगैर हासिल कर लिया गया है। 2016-17 के लिए कुल आयोजना परिव्यय ₹5,50,010 करोड़ और आयोजना-भिन्न परिव्यय ₹14,28,050.45 करोड़ है।

Budget at a Glance shows Budget estimates in broad aggregates to facilitate easy understanding. The document shows receipts and expenditure as well as the Fiscal Deficit (FD), Revenue Deficit (RD), Effective Revenue Deficit (ERD), and the Primary Deficit (PD). The document gives an illustrative account of sources of receipts, and their application through suitable charts, and graphs. In addition, the document contains the Central and State Plan Outlays, and allocations on major programmes and schemes.

2. **Fiscal deficit** is the difference between the Revenue receipts plus Non-debt Capital Receipts (NDCR) and the total expenditure. This indicates the total borrowing requirements of Government from all sources. **Revenue deficit** refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. **Effective revenue deficit** is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. **Primary deficit** is measured by fiscal deficit less interest payments.

3. Budget 2016-17 reflects Government's firm commitment to substantially boost investment in Agriculture, Social Sector, Infrastructure and employment generation on the one hand and simultaneously sticking to the fiscal consolidation path. This is substantiated by a huge 15.3% jump in Plan outlay and 9% increase in Non Plan outlay in 2016-17 over RE (2015-16) while simultaneously conforming to the fiscal deficit target of 3.5%. Besides additional allocation to meet the obligations of 7th pay commission recommendation and implementation of one rank one pension (OROP) in Defence have also been provided.

4. In RE (2015-16), the plan outlay at ₹4,77,197 crore is more than the BE (2015-16) by ₹11,920 crore. With minor reduction in Non-Plan, the total expenditure outlay in RE (2015-16) at ₹13,08,194 crore is ₹7,914 crore more than BE (2015-16). Accordingly, the Fiscal Deficit target of 3.9% has been achieved without reduction in expenditure outlay at RE stage. The total plan outlay for 2016-17 is ₹5,50,010 crore and Non-Plan outlay is ₹14,28,050.45 crore.

(ii)

5. वर्ष 2015-16 से करों में राज्यों के हिस्से के अंतरण में राज्य को जाने वाले कुल संसाधनों में भारी उछाल देखी गई। इस रुझान को जारी रखते हुए राज्यों को जाने वाले कुल संसाधन जिनमें करों में राज्य के हिस्से का अंतरण, आयोजना और आयोजना-भिन्न अनुदान/ऋण और केंद्रीकृत स्कीमों के तहत जारी निधियां शामिल हैं, ब.अ. (2016-17) में ₹ 9,11,330 करोड़ है, जो सं.अ. (2015-16) की तुलना में ₹ 99,846 करोड़ का उछाल है और वास्तविक (2014-15) से ₹ 2,43,093 करोड़ अधिक है। ये तथ्य सरकार के सहकारी संघवाद तथा जब राज्य विकास करते हैं, तब राष्ट्र विकास करता है, के सिद्धान्त में दृढ़ विश्वास के प्रति वचनबद्धता दर्शाते हैं।

6. 2016-17 के आयोजना अनुमानों को नीति में गठित मुख्य मंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों पर संशोधित निधियन पैटर्न के संदर्भ में देखा जाना है। सरकार के निर्णय के अनुसार "मुख्य में प्रमुख" के रूप में परिभाषित स्कीमों के मौजूदा निधियन पैटर्न को बनाए रखा गया है। इन स्कीमों की सूची अनुबंध क में संलग्न है।

7. कोर स्कीमों का निधियन पैटर्न, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भी भाग है, के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच का हिस्सा 60:40 (8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) होगा। इन स्कीमों की सूची अनुबंध ख में संलग्न है। यदि इस सूची में स्कीम/उप-स्कीम का 60:40 से कम केन्द्रीय निधियन पैटर्न है, तो मौजूदा निधियन पैटर्न जारी रहेगा।

8. कार्यक्रमों और स्कीमों के कारगर परिणाम आधारित मानीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए तथा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों की आयोजना और आयोजना-भिन्न स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद की गई थी। संसाधनों के छितराव से बचने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों को परिणाम आधारित अम्ब्रेला कार्यक्रमों और स्कीमों में पुनर्गठित किया गया है। स्कीमों का तर्कसंगत सेट अधिक ठोस ढांचे के लिए मंत्रालयों/विभागों की संबंधित ब्योरेवार मांग अनुदानों में दर्शाई गई स्कीमों/उप-स्कीमों में विलय करने का आगे मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मंत्रालयों/विभागों को स्कीमों के कार्यान्वयन में अधिकाधिक लचीलापन बनने में सहायता करेगा।

5. Since 2015-16, the devolution of States' share in taxes has witnessed a major jump in total resources being transferred to States. Continuing with this trend, the total resources going to States including the devolution of State's share in taxes, Plan and Non Plan grants/loans, and releases under centrally sponsored scheme in BE (2016-17) is ₹ 9,11,330 crore, with a jump of ₹ 99,846 crore over RE (2015-16) and ₹ 2,43,093 crore more than the Actual (2014-15). These facts reflect Government's firm commitment to co-operative federalism and strong belief in the Principle that the Nation grows when States grow.

6. The Plan estimates of 2016-17 have to be seen in the context of the revised funding pattern on the recommendations of the Sub-group of Chief Ministers set up in NITI. As per the decision of Government, the existing funding pattern of schemes defined as 'core of the core' have been retained. A list of these schemes is attached at Annexure A.

7. The funding pattern of 'core' schemes, which also form part of the National Development agenda, will be shared 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the 8 North Eastern States and 3 Himalayan states). A list of these schemes is attached at Annexure B. In case a scheme/sub-scheme in this list has a Central Funding pattern of less than 60:40, the existing funding pattern will continue.

8. For effective outcome based monitoring of the programmes and schemes and to ensure optimum utilisation of resources, an exercise to rationalise Plan and Non-Plan schemes of all Ministries and Departments had been undertaken. The existing programmes and schemes have been re-organised into outcome based Umbrella programmes and schemes to avoid thin spread of resources. The rationalized set of schemes will further pave way for merging of schemes/sub schemes reflected in the respective Detailed Demands for Grants of the Ministries/Departments, for a more compact framework. This will help the Ministries/Departments gain more flexibility in Budget management and ensure effective monitoring of the implementation of the schemes.

बजट का सार *Budget at a Glance*

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 वास्तविक Actuals	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates	2015-2016 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2016-2017 बजट अनुमान Budget Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	1. Revenue Receipts	1101472	1141575	1206084	1377022
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	2. Tax Revenue (net to centre)	903615	919842	947508	1054101
3. कर-भिन्न राजस्व	3. Non-Tax Revenue	197857	221733	258576	322921
4. पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)[§]	4. Capital Receipts (5+6+7)[§]	562201	635902	579307	601038
5. ऋणों की वसूली	5. Recoveries of Loans	13738	10753	18905	10634
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	37737	69500	25312	56500
7. उधार और अन्य देयताएं *	7. Borrowings and other liabilities *	510725	555649	535090	533904
8. कुल प्राप्तियां (1+4)[§]	8. Total Receipts (1+4)[§]	1663673	1777477	1785391	1978060
9. आयोजना-भिन्न व्यय	9. Non-Plan Expenditure	1201029	1312200	1308194	1428050
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account of which,	1109394	1206027	1212669	1327408
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	402444	456145	442620	492670
12. पूंजी खाते पर	12. On Capital Account	91635	106173	95525	100642
13. आयोजना व्यय	13. Plan Expenditure	462644	465277	477197	550010
14. राजस्व खाते पर	14. On Revenue Account	357597	330020	335004	403628
15. पूंजी खाते पर	15. On Capital Account	105047	135257	142193	146382
16. कुल व्यय (9+13)	16. Total Expenditure (9+13)	1663673	1777477	1785391	1978060
17. राजस्व व्यय (10+14)	17. Revenue Expenditure (10+14)	1466992	1536047	1547673	1731037
18. जिसमें, पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	18. Of Which, Grants for creation of Capital Assets	130760	132472	132004	166840
19. पूंजी व्यय (12+15)	19. Capital Expenditure (12+15)	196681	241430	237718	247023
20. राजस्व घाटा (17-1)	20. Revenue Deficit (17-1)	365519 (2.9)	394472 (2.8)	341589 (2.5)	354015 (2.3)
21. प्रभावी राजस्व घाटा (20-18)	21. Effective Revenue Deficit (20-18)	234759 (1.9)	268000 (2.0)	209585 (1.5)	187175 (1.2)
22. राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	22. Fiscal Deficit {16-(1+5+6)}	510725 (4.1)	555649 (3.9)	535090 (3.9)	533904 (3.5)
23. प्राथमिक घाटा (22-11)	23. Primary Deficit (22-11)	108281 (0.9)	99504 (0.7)	92469 (0.7)	41234 (0.3)

इस दस्तावेज में वर्ष 2014-15 के वास्तविक आंकड़े अंतिम हैं। Deviation in BE 2015-16 is due to better caption of information

§ बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर। Excluding receipts under Market Stabilisation Scheme.

* इसमें नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है। Includes draw-down of Cash Balance.

टिप्पणियां: 1. सीएसओ द्वारा जारी 2015-2016 के अग्रिम अनुमानों (₹13567192 करोड़) की तुलना में 11% की वृद्धि मानते हुए 2016-2017 के बजट अनुमान में सघट बढ़कर ₹15065010 करोड़ होने का पूर्वानुमान है।


2. इस दस्तावेज में पृथक-पृथक मदें पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ से मेल न खाएं।

Notes: 1. GDP for BE 2016-2017 has been projected at ₹15065010 crore assuming 11% growth over the Advance Estimates of 2015-2016 (₹13567192 crore) released by CSO.

2. Individual items in this document may not sum up to the totals due to rounding off.



रुपया आता है Rupee Comes From (बजट Budget 2016-17)



उधार और अन्य देयताएं
Borrowings & Other liabilities
21 पै. p.

ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां
Non-debt Capital receipts
3 पै. p.

कर-भिन्न राजस्व
Non-tax Revenue
13 पै. p


सेवा कर और अन्य कर
Service tax & other taxes
9 पै. p.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
Union Excise Duties
12 पै. p.

सीमा-शुल्क
Customs
9 पै. p.

निगम-कर
Corporation-tax
19 पै. p.

आय कर
Income-tax
14 पै. p




टिप्पणियां:-1. कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में घटा दिया गया है।

Notes:-1. Total receipts are inclusive of States' share of taxes and duties which have been netted in the table on page 1.



रुपया जाता है Rupee Goes To

(बजट Budget 2016-17)



राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों
को आयोजना-भिन्न सहायता
**Non-Plan Assistance
to State & UT Govts.**
5 पैं. p.

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना
सहायता
Plan Assistance to State & UT
9 पैं. p.

करों और शुल्कों में
राज्यों का हिस्सा
**States' share of
taxes & duties**
23 पैं. p.

केन्द्रीय आयोजना
Central Plan
12 पैं. p.

अन्य आयोजना-भिन्न व्यय
**Other Non-Plan
Expenditure**
12 पैं. p.

ब्याज अदायगी
Interest Payments
19 पैं. p.

आर्थिक सहायता
Subsidies
10 पैं. p.

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
को अंतरण
**Transfers to States &
UTs**
37 पैं. p.

रक्षा
Defence
10 पैं. p.

टिप्पणियां:-1. इसमें वह योजना परिव्यय शामिल नहीं है जिन्हें सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाता है।

2. कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में प्राप्तियों में से घटा दिया गया है।

Notes:-1. This does not include Plan outlays met from internal and extra budgetary resources of public enterprises.

2. Total expenditure is inclusive of the States' share of taxes and duties which have been netted against receipts in the table on page 1.